

Ref. AIAMH/2026/189

Date.- 22/05/2026

## यौन उत्पीडन के खिलाफ समिति

भारत सरकार का राजपत्र रजिस्टर्ड संख्या डी.एल. 33004/99 भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिसूचना 01 मई, 2024 सी.जी.-डी.एल.-अ.06052024-254049 के बिन्दु संख्या-30 यौन उत्पीडन के खिलाफ समिति (Committee against Sexual Harassment) पृष्ठ संख्या 21 के अनुसार संस्थागत यौन उत्पीडन के खिलाफ समिति का गठन निम्नवत किया गया दिनांक 16/12/2025 को बैठक कर समिति में सदस्य डॉ० वर्षा पाठक के जाने के पश्चात उनके जगह पर प्रो० रंजु चौरसिया, प्रो० रीचा राय एवं श्रीमती शैल सिंह (एन.जी.ओ.) नये सदस्य के रूप में मनोनित किये गये।

सूची निम्नवत है:-

क.सं.	अधिकारी/शिक्षक/छात्र का नाम	का पद	नामित पद	विभाग
1	प्रो० डॉ० पी० के० सिंह	प्राचार्य	अध्यक्ष	शालाक्य तंत्र
2	प्रो० अनिल कुमार शुक्ला	तृतीय व्यवसायिक शिक्षक	समन्वयक	संहिता सिद्धांत
3	प्रो० अभीषेक पाठक	तृतीय व्यवसायिक शिक्षक	सदस्य	शल्य तंत्र
4	प्रो० रंजु चौरसिया	तृतीय व्यवसायिक शिक्षक	सदस्य	स्त्री एवं प्रशक्ति तंत्र
5	प्रो० रीचा राय	प्रथम व्यवसायिक शिक्षक	सदस्य	क्रिया शारीर
6	डॉ० आभा सिंह	प्रथम व्यवसायिक शिक्षक	सदस्य	क्रिया शारीर
7	श्रीमती शैल सिंह	स्वामी विवेकानन्द चैरिटेबल दातव्य चिकित्सालय समिति बैकुंठपुर, नरायनपुर मीरजापुर	सदस्य	एन.जी.ओ.

संस्थागत समिति परिषद में आगंतुको सहित छात्रों, संकाय, कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये यौन उत्पीडन, यौन अनाचार और यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में शिकायतों या शिकायतों का निपटान करेगी इसके अतिरिक्त समिति यौन उत्पीडन के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए काम करेगी। उक्त समिति शिकायतों की गोपनीयता सुनिश्चित करेगी

निर्देशित किया जाता है कि समन्वयक प्रति दो माह पर बैठक समिति की बैठक कराना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

110512

प्रो. पी. के. सिंह

PRINCIPAL

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1. समस्त विगाध्यक्ष, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड हॉस्पिटल
2. समस्त शिक्षक/चिकित्सक/कर्मचारी/छात्र-छात्रा
3. सम्बन्धित शिक्षक/छात्र-छात्रा . . . . .।
4. सूचना पट।